UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION	**उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग** पो०ऑ० गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in	☎ 01334-244143 Mob.- 07060002410

विज्ञापन संख्या – 01/03/डी0आर0/सेवा–2/2017–18

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड) परीक्षा–2017

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	04 अगस्त, 2017
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	25 अगस्त, 2017 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
e-challan का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि	–	28 अगस्त, 2017 (बैंक समयावधि तक)
परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29 अगस्त, 2017 (बैंक समयावधि तक)
परीक्षा शुल्क Netbanking/debit card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	29 अगस्त, 2017 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

01– अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

02– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 25 अगस्त, 2017** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।

03– अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

04– आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन के आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंटआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

05– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

06– आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथाः– पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

07– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं e-challan/Net Banking/Debit Card के माध्यम से ही परीक्षा शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

08– यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार एक से अधिक विषयों के पदों हेतु योग्यता रखता हो तो उसे सम्बन्धित विषयों हेतु पृथक–पृथक आवदेन करना होगा, जिसके लिए उसे आवेदित विषयों के पदों हेतु पृथक–पृथक रूप से परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व में आवेदित सभी विषयों के पदों का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा वे पृथक–पृथक अभ्यर्थी माने जायेंगे।

उदाहरणार्थ :–यदि एक अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी) व असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत) पद हेतु विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी) विषय के पद हेतु आवेदन करने के पश्चात, असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत) पद के आवेदन पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी) के पद का उल्लेख करेगा। अन्यथा वह पृथक–पृथक अभ्यर्थी माना जायेगा।

09– असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित पद के एक विषय हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। अभ्यर्थी एक विषय हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें। अन्यथा, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विषय हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

10– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र "I Agree and Final Submit" बटन को Click करने एवं नियत समय तक e-challan/ Net Banking/ Debit Card द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

11– प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली– 2012 यथा संशोधित के अनुसार साक्षात्कार के पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों पर विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

12– स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

13– स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम पृथक से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर अपलोड किया जाएगा, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।

14– साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ विज्ञापन के निर्देशानुसार अनिवार्य अर्हता एवं अधिमानी अर्हता से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण आदि) की छायाप्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

15– असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुरूप पी0–एच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है, उन्हें विज्ञापन के बिन्दु संख्या (4)(2)(ख) के क्रम में **परिशिष्ट–01 पर** निर्धारित प्रारूप के अनुसार तथा 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम0फिल0/पी0–एच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिये पंजीकृत अभ्यर्थियों को विज्ञापन के बिन्दु संख्या (4)(2)(ग) में उल्लिखित शर्तों के सम्बन्ध में **परिशिष्ट–02 पर** निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराये गये प्रमाणपत्र का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

16– असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हेतु उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में **संविदा प्रवक्ता** के रूप में कार्यरत होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–03** पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराये गये प्रमाणपत्र का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

17– यदि अभ्यर्थी की अंक–तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (**CGPA, OGPA, SGPA etc.**) में हो तो अंक–तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है, साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशत (**Percentage**) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र परीक्षा के आगामी चरण में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड) परीक्षा–2017

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (समूह 'क') के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (**Online Application**) आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली– 2012 यथा संशोधित के अनुसार साक्षात्कार से पूर्व विषयवार स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

<u>रिक्तियों का विवरण</u> : असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की कुल संख्या 877 है। रिक्तियों की यह संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

(1) **<u>राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल रिक्त पद – 877</u>**

क्र. सं0	विषय		अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनारक्षित (GEN)	कुल पद
1.	हिन्दी		23	07	08	40	78
2.	अंग्रेजी		27	05	18	27	77
3.	संस्कृत		13	02	05	19	39
4.	भूगोल		12	02	05	13	32
5.	अर्थशास्त्र		23	04	13	12	52
6.	राजनीति शास्त्र		19	5	18	36	78
7.	समाज शास्त्र		13	02	10	28	53
8.	इतिहास		08	02	11	23	44
9.	गृह विज्ञान		05	01	03	05	14
10.	चित्रकला		02	00	00	02	4
11.	मनोविज्ञान		04	01	00	00	5
12.	संगीत		03	00	02	02	7
13.	सांख्यिकी		01	00	00	01	2
14.	शिक्षा शास्त्र		06	01	04	16	27
15.	शारीरिक शिक्षा		01	00	00	02	3
16.	वाणिज्य		21	05	14	21	61
17.	बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम)–	सामाजिक अध्ययन	01	00	01	01	03
		हिन्दी	01	01	01	01	04
		अंग्रेजी	01	00	01	01	03
		गणित	01	00	00	01	02
		विज्ञान	01	00	00	02	03
18.	रसायन विज्ञान–	कार्बनिक रसायन	12	03	07	09	31
		अकार्बनिक रसायन	06	01	03	05	15
		भौतिक रसायन	06	01	02	04	13
19.	भौतिक विज्ञान		21	02	08	22	53
20.	जन्तु विज्ञान		18	04	12	13	47
21.	वनस्पति विज्ञान		17	04	03	26	50
22.	गणित		17	04	08	18	47
23.	सैन्य विज्ञान		03	00	01	00	4
24.	भूगर्भ विज्ञान		03	00	01	01	5
25.	विधि		01	00	01	00	2
26.	बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन		01	00	01	06	8
27.	बैचलर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन		01	00	00	02	3
28.	बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज/बी0टी0टी0एम0 (टूरिज्म एण्ड ट्रेवल्स)		01	00	00	01	2
29.	बी0एस0सी0 गृह विज्ञान		01	00	00	01	2
30.	बी0ए0 (मास कॉम)		00	00	00	01	1
31.	कम्प्यूटर विज्ञान		01	00	00	02	3
कुल योग			**295**	**57**	**161**	**364**	**877**

रिक्त पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरणः–

क्र. सं0	विषय	अनुसूचित जाति (SC)					अनुसूचित जनजाति (ST)					अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)					अनारक्षित (GEN)				
		उ0महिला	विकलांग	पूर्व सैनिक	स्व0स0से0 आश्रित	कुल रिक्त पद	उ0महिला	विकलांग	पूर्व सैनिक	स्व0स0से0 आश्रित	कुल रिक्त पद	उ0महिला	विकलांग	पूर्व सैनिक	स्व0स0से0 आश्रित	कुल रिक्त पद	उ0महिला	विकलांग	पूर्व सैनिक	स्व0स0से0 आश्रित	कुल रिक्त पद
1.	हिन्दी	7	1	1	1	23	2	1	1	1	7	2	0	0	0	8	12	1	2	1	40
2.	अंग्रेजी	8	1	1	1	27	2	1	0	0	5	5	1	1	1	18	8	1	1	1	27
3.	संस्कृत	4	0	1	0	13	1	0	0	0	2	2	0	0	0	5	6	1	1	0	19
4.	भूगोल	4	0	1	0	12	1	0	0	0	2	2	0	0	0	5	4	0	1	0	13
5.	अर्थशास्त्र	7	1	1	1	23	1	0	0	0	4	4	1	1	0	13	4	0	1	0	12
6.	राजनीति शास्त्र	6	1	1	0	19	2	0	1	0	5	5	1	1	1	18	11	1	2	1	36
7.	समाज शास्त्र	4	0	1	0	13	1	0	0	0	2	3	0	1	0	10	8	1	1	1	28
8.	इतिहास	2	0	1	0	8	1	0	0	0	2	3	1	1	0	11	7	1	1	1	23
9.	गृह विज्ञान	2	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	5
10.	चित्रकला	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
11.	मनोविज्ञान	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	संगीत	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2
13.	सांख्यिकी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14.	शिक्षा शास्त्र	2	0	1	1	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	5	0	0	0	16
15.	शारीरिक शिक्षा	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
16.	वाणिज्य	6	1	1	1	21	2	0	1	0	5	4	1	1	1	14	6	1	1	1	21
17.	भौतिक विज्ञान	6	1	1	0	21	1	0	0	0	2	2	0	0	0	8	7	1	1	1	22
18.	रसायन विज्ञान–कार्बनिक रसायन	3	0	0	0	12	0	0	0	0	3	2	0	0	0	7	2	0	0	0	9
19.	रसायन विज्ञान–अकार्बनिक रसायन	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	5
20	रसायन विज्ञान–भौतिक रसायन	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4
21.	जन्तु विज्ञान	5	1	1	0	18	1	0	0	0	4	4	0	1	0	12	4	0	1	0	13
22.	वनस्पति विज्ञान	5	1	1	0	17	1	0	0	0	4	1	0	0	0	3	8	1	1	0	26
23.	गणित	5	0	1	0	17	1	0	0	0	4	2	0	0	0	8	5	1	1	0	18
24.	सैन्य विज्ञान	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25.	भूगर्भ विज्ञान	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
26.	विधि	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
27.	बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6
28.	बैचलर इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
29.	बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज / बी0टी0टी0एम0 (टूरिज्म एण्ड ट्रेवल्स)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	बी0एस0सी0 गृह विज्ञान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
31.	बी0ए0 (मास कॉम)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32.	कम्प्यूटर विज्ञान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

निःशक्त व्यक्तियों हेतु विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष विकलांगता की श्रेणी का विवरण :–

क्र.स.	विषय	विकलांगता श्रेणी			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित
1.	हिन्दी	बी0ए0	ओ0ए0	––	बी0ए0
2.	अंग्रेजी	ओ0ए0	डी0	ओ0ए0	ओ0ए0
3.	अर्थशास्त्र	बी0ए0	––	बी0	––
4.	राजनीति शास्त्र	पी0डी0	––	पी0बी0	पी0बी0
5.	संस्कृत	––	––	––	बी0
6.	समाजशास्त्र	––	––	––	पी0डी0
7.	इतिहास	––	––	पी0डी0	बी0ए0
8.	वाणिज्य	पी0बी0	––	ओ0ए0	ओ0ए0
9.	भौतिक विज्ञान	बी0ए0	––	––	पी0डी0
10.	जन्तु विज्ञान	ओ0ए0	––	––	––
11.	वनस्पति विज्ञान	बी0ए0	––	––	बी0ए0
12.	गणित	––	––	––	बी0ए0

(2) <u>वेतनमान –</u> रू 15,600–39,100 ग्रेड पे–रू 6000/–

(3) <u>पद का स्वरूप –</u> राजपत्रित/अस्थायी (अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की सम्भावना है)/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(4) <u>शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हतायें–</u>

<u>शैक्षिक अर्हतायें:–</u> अनिवार्य अर्हतायें जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित हैं–

1.(क) कला, मानवीकीय, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषा, संगीत, विधि, पत्रकारिता और जनसंचार– विषयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिये सम्बन्धित विषय में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय की समतुल्य उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख जो कि विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित हों।

(ख)(i)शिक्षा संकाय के अन्तर्गत मैथडोलॉजी पाठ्यक्रमों में स्कूल विषयों के अध्यापन हेतु अध्यापकों के चयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित स्कूल विषय में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 45 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्वाइंट सहित स्नातकोत्तर उपाधि और एम0एड0 उपाधि में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये 55 प्रतिशत अंक एवं उत्तम शैक्षणिक अभिलेख तथा यू0जी0सी0/सम्बद्धता प्रदत्त करने वाली संस्था/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है, किन्तु **<u>कम से कम एक प्रवक्ता आई0सी0टी0 (I.C.T.) में विशेषज्ञता और एक अन्य को विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।</u>** यहां I.C.T. में विशेषज्ञता से अभिप्राय कम्प्यूटर शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा/बी0सी0ए0/एम0सी0ए0 अतिरिक्त योग्यता से है। विशेष शिक्षा से बी0एड0 पाठ्यक्रम, बी0एड0 का पृथक पाठ्यक्रम है, जिसकी शिक्षण संस्थाएं बहुत कम हैं। अतः I.C.T. और विशिष्ट शिक्षा को अनिवार्य अर्हता न मानते हुए अतिरिक्त अर्हता माना जायेगा।

(ख)(ii)शारीरिक शिक्षा हेतु अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55

प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड प्वाइंट सहित स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात एम0पी0एड0 डिग्री एवं उत्तम शैक्षणिक अभिलेख तथा नैट/सैट/स्लैट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) ललित कला विषय में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य ग्रेड प्वाइंट सहित सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त समस्तरीय उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

(घ) कम्प्यूटर साइंस पद हेतु अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ सम्बन्धित विषय में एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस/एम0ई0/एम0टेक0 में (ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य, जहां ग्रेडिंग प्रणाली हो) स्नातकोत्तर उपाधि के साथ अच्छा अकादमिक रिकार्ड। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ने यू0जी0सी0/सी0एस0आई0आर0 द्वारा आयोजित कम्प्यूटर साइंस में नैट/सैट/स्लैट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ङ) सहायक प्रोफेसर, बी0टी0टी0एम0/टूरिज्म स्टडीज हेतु अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यटन प्रबन्ध/प्रशासन में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण एवं नैट/सैट/स्लैट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(च) व्यावसायिक प्रबन्धन/प्रशासन में प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

अथवा

ए0आई0यू0/ए0आई0सी0टी0ई0/यू0जी0सी0 द्वारा समकक्ष घोषित दो वर्षीय प्रथम श्रेणी पूर्णकालिक पी0जी0डी0एम0 एवं उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

या

प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा संबंधित नियामक संस्थाओं (statutory bodies) से अर्ह **व्यावसायिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कास्ट एण्ड वर्क एकाउन्टेंट/कम्पनी सचिव।**

2.(क) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET), जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है अथवा CSIR द्वारा और इसके समतुल्य सफल किये गये परीक्षण, जिन्हे यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यायित किया गया हो, जैसे कि स्लैट, सैट आदि।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुरूप पी–एच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है, उन्हे नैट/स्लैट/सैट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और समतुल्य भर्ती और नियुक्ति के लिये निर्धारित की गयी है।

(ग) तथापि 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम0फिल0/पी–एच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिये पंजीकृत अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान किया जाना/उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तात्कालिक अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पी0एचडी0 उपाधि धारकों को निम्नलिखित शर्त पूर्ण करने पर नैट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों से छूट प्रदान होगी–

1. अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान की गयी हो।
2. कम से कम 2 वाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया गया हो।

3. अभ्यर्थी ने अपने पी–एच0डी0 शोध कार्य में से 2 शोधपत्र प्रकाशित किये हों, जिनमें से कम से कम 1 पत्र संदर्भित Refereed जनरल में प्रकाशित हो।
4. अभ्यर्थी ने अपने पी–एच0डी0 शोध कार्य में से 2 पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किये हों।
5. अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो और उपर्युक्त (1 से 4) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित हो।

(घ) ऐसे विषय जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम नैट/सैट/स्लैट संचालित नहीं किये जाते उनके लिए नैट/सैट/स्लैट की अनिवार्यता नहीं होगी।

अधिमानी अर्हतायें यदि कोई हो–अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

1. प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।
2. राष्ट्रीय कैडिट कोर (एन0सी0सी) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
3. वाद/विवादों, संगोष्ठियों, खेलकूद और अन्य पाठ्यानुवर्ती कार्यकलापों में उच्च स्तर की प्रवीणता प्रदर्शित की हो।
4. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अधिकतम 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, बशर्ते कि संविदा प्रवक्ता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी प्रवक्ता पद के लिए शासन द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो।

नोटः– 01. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–17 में उल्लिखित बी0एड0 (प्राविधिक पाठ्यक्रम) हेतु स्कूल विषय का तात्पर्य स्कूल स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों से है, जैसे– सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत भाषाएं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य विषय तथा विज्ञान विषयों में भौतिक, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित से है।

02. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–29 में उल्लिखित सहायक प्रोफेसर, बी0एस0सी0 गृह विज्ञान पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं के अंतर्गत – Home Science/Food & Nutrition/Clothing & Textiles/Family Resource Management/Family Studies/Home Science Extension विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 उपाधि वांछित है।

03. रिक्त पदों की विवरण तालिका के क्रमांक–08 में उल्लिखित इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अन्य शर्तो के अतिरिक्त संबंधित विषय (प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह हैं।

नोट– **अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र परिशिष्ट–05 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराये गये प्रमाणपत्र का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।**

(5) (क) आयु सीमाः– **21 से 42 वर्ष, (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2017** है। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1996 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1975 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(ख) उच्चतम आयु सीमा में छूट :– उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0व0/विकलांग/पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(6) राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि–

(क) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया से प्रवजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, आसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(7) **चरित्र :–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

(8) **वैवाहिक प्रास्थिति :–** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष विधिक कारण विद्यमान हैं।

(9) **शारीरिक स्वास्थ्य :–** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाये :

परन्तु, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(10) **आरक्षण :–** ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण सबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के ''परिशिष्ट–4'' में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित

प्रारूप का उल्लेख ''परिशिष्ट–4'' में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर यथासमय प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। विभाग में जिस–जिस विकलांगता हेतु पद आरक्षित होंगे, उसी विकलांगता श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ड़) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या 133/xxxvi(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(11) <u>ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :–</u> इच्छुक अभ्यर्थियों से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (समूह– 'क') के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

01.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	**25.08.2017 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)**
02.	e-challan का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**28.08.2017 (बैंक समयावधि तक)**
03.	परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	**29.08.2017 (बैंक समयावधि तक)**
04.	परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	**29.08.2017 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)**

(I) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **<u>www.ukpsc.gov.in</u>** पर जाएं एवं Candidate Corner नामक Article पर Click करें।

(II) ऑनलाइन आवेदन हेतु **"Application for the post of Assistant Professor (Govt. Degree College, Uttarakhand) Exam-2017"** पर Click करें।

(III) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देशों को सम्यक् रूप से पढ़ें एवं समझें, तत्पश्चात् ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

(IV) "<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु यहां क्लिक करें</u>" लिंक पर <u>Click</u> करने के पश्चात वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही भरें।

(V) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। प्रविष्टियों के पूर्णतया सही होने की दशा में ही Save and Continue पर Click करें, अन्यथा गलत की गई प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन करें तथा पूर्णतया संतुष्ट होने पर Save and Continue पर Click करें।

(VI) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त Save and Continue पर Click करने पर अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपना स्कैन फोटोग्राफ JPG Format (जो 10 KB से कम न हो एवं 40 KB से अधिक न हो) एवं अपने हस्ताक्षर JPG Format (जो 10 KB से कम न हो एवं 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने हैं।

(VII) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Edit पर Click करें तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर भली भांति परीक्षण कर लें। प्रिंट आउट में कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर आवेदन पत्र में त्रुटियों के सुधार हेतु अभ्यर्थी

View/ Print Application पर Click कर आवेदन पत्र में प्रदर्शित Registration No. (जैसे DCE17……etc) एंव जन्मतिथि की प्रविष्टि के उपरान्त Edit कर सकते हैं।

(VIII) ऑनलाईन आवेदन पत्र में सभी प्रकार की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कर लेने के पश्चात ही I Agree and Final Submit पर Click करें। I Agree and Final Submit पर Click करने पर Online Form अंतिम रूप से Submit हो जायेगा। इसके पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

(IX) अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(X) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात् ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी **www.ukpsc.gov.in** पर जायें और **"Submit the fee after 48 hours of filling the form"** पर क्लिक करें। फीस जमा करने के लिए http://ukpscappl.gov.in/soapdc लिंक का प्रयोग भी किया जा सकता है।

(XI) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क एस0बी0आई0 e-challan द्वारा State Bank Of India (SBI) की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net banking/Debit card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। Net banking/Debit card के माध्यम से जमा किये गये परीक्षा शुल्क पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।

(XII) शुल्क जमा होने के साथ ही आपकी Online आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र को अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) शुल्क : परीक्षा शुल्क निम्नवत है :–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	रू0 150/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड विकलांग/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	रू0 60/– मात्र

उत्तराखण्ड महिला जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(13) अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

01. आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

02. अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली– 2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 एवं चतुर्थ संशोधन–2016 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

03. रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन

के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

04. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)/साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

05. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

06. स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

07. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

08. स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या–320/XXX(2) 2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

09. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** – वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

10. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

11. स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

12. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

13. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

14. **परीक्षा भवन में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
15. **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
16. स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नही जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
17. स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में सामान्य वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) नियमावली द्वारा प्रत्येक चरण में विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा।
18. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
19. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
20. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
21. हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
22. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
23. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

24. आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

25. यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

26. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

27. **अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।**

28. प्रश्नगत चयन हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं e-challan/net banking/debit card के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

29. सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

30. अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में आधार कार्ड/पैनकार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/ड्राईविंग लाइसेन्स/बैंक पासबुक/केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी आई0 कार्ड0 में से किसी एक अभिलेख/आई0डी0 का विवरण अवश्य अंकित करें तथा स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान उक्त आई0डी0 अभ्यर्थी अपने साथ अवश्य रखें, जिसका विवरण ऑनलाइन आवेदनपत्र में किया गया हो एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

नोट : अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट/मूल प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों का अवलोकन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा उसी आधार पर आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(बंशीधर तिवारी)
सचिव।

परिशिष्ट–01

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड) परीक्षा–2017 हेतु पी0–एच0डी0 उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

('UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation 2009' के मानकों के अनुरूप)

पत्रांक संख्या :...................................... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0/डॉ0.. पुत्र/पुत्री/पत्नी .... इस विश्वविद्यालय/संस्थान में विषय/उपविषय (Subject/Branch) ....में Ph.D / D.Phil हेतु पंजीकृत थे/थीं, जिनका शोध प्रबन्ध का शीर्षक (Topic) .... है। इनकी पंजीकरण संख्या .... एवं पंजीकरण तिथि .... है।

इनको Ph.D./ D.Phil की उपाधि 'UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D Degree) Regulation 2009' के मानकों के अनुरूप प्रदान की गयी है।

कुलसचिव
(मोहर)

परिशिष्ट–02

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड) परीक्षा–2017 हेतु एम०फिल० / पी–एच०डी० उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

(दि0 11.07.2009 के पूर्व पंजीकृत उपाधि धारकों हेतु)

पत्रांक संख्या :.................................... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 / डॉ0.. पुत्र / पुत्री / पत्नी .... इस विश्वविद्यालय / संस्थान में विषय / उपविषय (Subject/Branch) ....में M.Phil./ Ph.D. हेतु पंजीकृत थे / थी, जिनका शोध प्रबन्ध का शीर्षक (Topic) .... है। इनकी पंजीकरण संख्या .... एवं पंजीकरण तिथि ....है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपाधि संस्थान / विश्वविद्यालय के तात्कालिक अध्यादेश / उपविधि / विनियमों के उपबन्धों द्वारा शासित थी और पी–एच0डी0 उपाधि धारक निम्न लिखित शर्तें भी पूर्ण करते हैं :–

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान की गई है।
(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्याकंन किया गया है।
(ग) अभ्यर्थी ने अपने पी–एच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं :–

शोध पत्र–1. संदर्भित जनरल (Refereed Journal) का नाम	शोध पत्र–2. संदर्भित जनरल (Refereed Journal) का नाम
....	....
ISSN..	ISSN..
No./Vol.. Year	No./Vol.. Year ....
शोध पत्र का शीर्षक..	शोध पत्र का शीर्षक..
....	....

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पी–एच0डी0 शोध कार्य में से 02 पेपर संगोष्ठियों / सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हैं :–

संगोष्ठी / सम्मेलन– 1...	संगोष्ठी / सम्मेलन– 2...
....	....
दिनांक–...	दिनांक–...
शोध पत्र...	शोध पत्र...
....	....

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया है।

प्रमाणित

कुलपति / सम–कुलपति / संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) /
संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण)

परिशिष्ट–03

उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

पत्रांक संख्या :.................................... दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0/डॉ0.. पुत्र/पुत्री/पत्नी.. वर्तमान में संविदा प्रवक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय .... में कार्यरत हैं तथा संविदा प्रवक्ता के रूप में इस महाविद्यालय में इनकी कार्य अवधि निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतनमान	शैक्षिक सत्र	नियुक्ति की तिथि	अन्तिम कार्य दिवस	कुल अवधि
01.						
02.						
03.						
04.						
05.						

हस्ताक्षर

प्राचार्य
(मोहर)

<u>परिशिष्ट–4</u>

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .... तारीख ....**निःशक्तता प्रमाण–पत्र**

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... .आयु .... लिंग ....पहचान चिन्ह ....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विशयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिश्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृश्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्शों .... महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i)	एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii)	पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iii)	एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv)	के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(v)	बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi)	एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii)	एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(viii)	डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix)	एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x)	एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi)	आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

डा0..)	(डा0..)	(डा0..)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अस्पताल के मुखिया
द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

***** जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–05

Experience Certificate

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office: …………………………………………………………… …
Address of Deptt./Office: ……………………………………………………………
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: …………………………..
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust………………………
Telephone No…………………………………………………………………………
Website: ………………………………………………………………………………

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr. .... Son/ Daughter/Wife of shri.. is an employee of this Department/ Organization/ Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	**From** dd/mm/yy	**To dd/mm/yy**	**Total Period dd/mm/yy**	**Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)**	**Nature of Experience : Specialty/Field of Research/ Technical/ Administration/ Academic or any other experience.**	**Pay scale and last salary drawn**	**Duties performed / experience gained in brief in each post (Please give details)**	**Place of posting**	**Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other**
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

* All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.